महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / कु.स.का. / 2025 / 41 दिनांक : 25.02.2025

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–06 / 2025 / 364 / तीस–03–2025 दिनांक 11.02.2025 एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली के पत्रांकः 128 / प्रवर्तन / 2024–25 दिनांक 24.02.2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिये हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिये सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उक्त के अनुपालन में विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी / शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी / छात्र–छात्राओं को निर्देशित किया जाता है, कि विश्वविद्यालय परिसर में दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिये हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिये सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाये।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक, विश्वविद्यालय परिसर।
2. वित्त अधिकारी।
3. परीक्षा नियन्त्रक।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली।
5. मुख्य नियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय परिसर में सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6. मीडिया प्रभारी।
7. उप कुलसचिव, प्रशासन / परीक्षा।
8. सहायक कुलसचिव।
9. निजी सचिव–कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
10. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
11. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

कुलसचिव